

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (आर-229) अलेसे-1/

दिनांक:- 30-12-2013

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश संख्या 4516-4543 दिनांक 23.09.13 के द्वारा श्री रूपाराम चौधरी सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग जोधपुर को सेकिन्डमेन्ट के आधार पर दिनांक 31.03.14 तक पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, जोधपुर में पदस्थापित किये जाने के आदेश को एतद द्वारा निरस्त (Cancel) किया जाता है।


(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (आर-229) अलेसे- I/ 7296-7302 दिनांक:- 30-12-2013

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जोधपुर।
2. खनि अभियन्ता खान एवं भूविज्ञान विभाग, जोधपुर।
3. कोषाधिकारी जोधपुर।
4. उपकोषाधिकारी पचपदरा (बाड़मेर)
5. श्री रूपाराम चौधरी, सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भूविज्ञान विभाग, जोधपुर को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि आप आदेश संख्या 279/2013-14 दिनांक 03.10.13 की अनुपालना में अविलम्ब उप कोषालय पचपदरा (बाड़मेर) में कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण की सूचना इस विभाग को भिजवायें।
6. उपनिदेशक (ए.सी.पी) कार्यालय हाजा को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में ऐन्ट्री करने हेतु।
7. निजी सहायक निदेशक महोदया।


(के.एम.मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)